


न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

R - 1223 - PB/116.



लोकेन्द्र सिंह आ० स० श्री छतर सिंह

निवासी ग्राम पतलई कलौं तह०

डोलरिया जिला होशंगाबाद

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

मनमोहन सिंह आ० जगन्नाथ सिंह

निवासी ग्राम पतलई कलौं तह० डोलरिया

जिला होशंगाबाद ————— उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय डोलरिया द्वारा राजस्व सीमाकांन प्रकरण के 603 / 12 वर्ष 2010.11 ग्राम पतलईकला तह० डोलरिया जिला होशंगाबाद मनमोहन सिंह बनाम सर्वसाधारण मे पारित आदेश दिनांक 24.03.14 से क्षुद्र एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष बिना किसी बिलम्ब के प्रस्तुत हैः—

G/m  
9-4-14

15 म-14



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—रवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1223—पीबीआर / 2014

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-4-2014	<p>आवेदक एवं केवियेटकर्ता के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24-3-2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पूर्वजों द्वारा अनावेदक केवियेटकर्ता के पूर्वजों से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1977 में क्रय की गई है और तभी से आवेदक प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज है। यह भी कहा गया कि वर्ष 1991-92 में चकबंदी हुई थी और चकबंदी के पश्चात आवेदक से सहमति नहीं ली गई है, अतः त्रुटिपूर्ण चकबंदी की जानकारी आवेदक को नहीं हो सकी। तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का पिछले 36 वर्षों से कब्जा है और यदि त्रुटिपूर्ण चकबंदी के आधार पर सीमाकंन की कार्यवाही की जाती है तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय को भेजा गया है। अतः तहसील न्यायालय को सर्व प्रथम उक्त आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिये था। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार को सीमाकंन कार्यवाही के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उसके द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10, संहिता की धारा 51 एवं 32 के अंतर्गत प्रस्तुत</p>	

आवेदन पत्रों का निराकरण करना चाहिये था, तत्पश्चात् सीमाकंन की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा बिना आवेदन पत्रों का निराकरण किये सीमाकंन की कार्यवाही करने के आदेश देने में अवैधानिकता की गई है।

2/ केवियेटकर्ता के विद्वान् अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में अनावेदक केवियेटकर्ता के नाम से दर्ज हैं और भूमिस्वामी को संहिता की धारा 129 के अंतर्गत अपनी भूमि का सीमाकंन कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कहा गया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमियों का कभी भी भूमिस्वामी नहीं रहा है। तर्क में यह भी कहा गया कि चकबंदी के पूर्व प्रश्नाधीन भूमियों सहित अन्य भूमियों के भूमिस्वामी अनावेदक के पूर्वज थे और उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को छोड़कर अन्य भूमियों का विक्याय आवेदक के पूर्वजों को किया गया है। अतः चकबंदी के पूर्व से ही अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व में सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के आधार पर निरस्त किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28-6-2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार को स्वयं मौके पर उपस्थित होकर चांदा खोज कर सीमाकंन कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है। अतः यदि तहसीलदार द्वारा कार्यवाही रोक दी जाती है तो इस न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा सीमाकंन की जानकारी होने के पश्चात् दिनांक 5-6-2013 को

५१

संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कलेक्टर जिला होशंगाबाद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के अंतर्गत, प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है। क्योंकि तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमाकंन का प्रकरण प्रचलित है, जबकि कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः दोनों प्रकरण पृथक—पृथक होने से व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 लागू नहीं होती है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कोवियेटकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क अभिलेख से परे है।

4/ यह निर्विवादित है कि राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमियों के भूमिस्वामी अनावेदक दर्ज है। संहिता की धारा 129 के अंतर्गत किसी भी भूमिस्वामी को अपनी भूमि का सीमाकंन कराने का पूर्ण अधिकार है। तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक की ओर से सीमाकंन आवेदन पत्र पर अनेक वर्षों से लागू चकबंदी त्रुटिपूर्ण होने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत करना अनावेदक की भूमि पर निरंतर लाभ लेने की इच्छा शक्ति का एक हिस्सा है, कारण सीमाकंन कार्यवाही में चकबंदी के त्रुटिपूर्ण होने के बिन्दु पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। यदि आवेदक के मत में चकबंदी की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है तो वह उसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत सभी आवेदन पत्रों

पर एवं आपत्तियों पर तर्क सुने जाकर आदेश पारित किया गया है। इसलिये आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार को सीमाकंन की कार्यवाही के पूर्व आवेदक की ओर से प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्रों का निराकरण करना चाहिये था। तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। अतः उनका यह कहना भी उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी अमान्य किये जाने योग्य है कि आवेदक की ओर से कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा दुरुस्ती का आवेदन पत्र दिया गया है, अतः सर्व प्रथम उक्त आवेदन पत्र का निराकरण होना चाहिये, तत्पश्चात सीमाकंन की कार्यवाही की जानी चाहिये, क्योंकि यदि त्रुटिपूर्ण चकबंदी एवं त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर सीमाकंन की कार्यवाही की जाती है तब आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका 36 वर्षों से निरंतर कब्जा है। कारण, आवेदक द्वारा संहिता की धारा 107 के अंतर्गत नक्शा दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र दिनांक 5-6-2013 को सीमाकंन कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है, जबकि यदि नक्शे में त्रुटि थी तब आवेदक को यथा समय उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की कार्यवाही करना चाहिये थी। द्वितीय यदि नक्शे में संशोधन होता है तब आवेदक संशोधित नक्शे के आधार पर अपनी भूमि का सीमाकंन कराने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

Noted.

23/4/15  
(S.K. (I.I.W.A.D))  
Ad.

2  
(स्वदीप सिंह)  
अध्यक्ष